

मूल्य कर सहित रूपये एक सौ पचास (रु.150) मात्र

उत्तर प्रदेश वन निगम
इलाहाबाद / झाँसी क्षेत्र



तेन्दू पत्ता की बिक्री हेतु
वर्ष 2020 सीजन की अवशेष लाटों एवं पूर्व वर्षों की अवशेष लाटों की बिक्री सूची तथा निविदा
एवं बिक्री की सामान्य शर्तें

• • • • •

निविदा देने की अन्तिम तिथि व समय
08 दिसम्बर, 2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक

• • • • •

निविदा खुलने की तिथि व समय
08 दिसम्बर, 2020 को अपरान्ह 3.30 बजे से

• • • • •

निविदा देने व खुलने का स्थान

1. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, मिर्जापुर
2. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज
3. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, कर्वी
4. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी
5. कार्यालय, विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, वाराणसी
6. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, झाँसी
7. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद, सहारनपुर

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची, निविदा सूचना, निविदा द्वारा बिक्री की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र

1. वर्ष-2020 सीजन में संग्रहित तेन्दू पत्ता की अवशेष लाटों व पूर्व वर्षों की अवशेष लाटों की लाटवार विक्रय सूची
2. तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु निविदा सूचना – निविदा तिथि 08.12..2020
3. निविदा द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री की शर्तें
4. तेन्दूपत्ता की बिक्री हेतु निविदा-प्रपत्र

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग, रेनुकूट

वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट सं० व वर्ष	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	R- A 01 /20	अघौरा	Aghaura	200	150.000	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
2	R- A 02 /20	अगोरी-अ	Agori-A	40	27.400	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
3	R- A 03 /20	अगोरी-ब	Agori-B	101	73.275	एस०डी० मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
4	R- A 04 /20	अमरसोता	Amarsota	116	76.300	परसोई गोदाम, परसोई
5	R- A 05 /20	अमरसोता	Amarsota	131	87.770	परसोई गोदाम, परसोई
6	R- A 07 /20	औराडंडी	Auradandi	180	144.000	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
7	R- A 08 /20	औडी ,रणहोर	Auri, Ranhor	48	30.400	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
8	R- A 10 /20	अवाडी-अ	Avadi-A	32	21.900	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
9	R- A 13 /20	बभनी (चपकी)	Babhani (Chapki)	226	160.000	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
10	R- A15 /20	बागोसोती-ब	Bagesoti-B	323	241.259	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
11	R- A 18 /20	बजिया (कनवा)	Bajiya (Kanwa)	131	97.500	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
12	R- A 19 /20	बजिया (कनवा)	Bajiya (Kanwa)	81	60.200	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
13	R- A 22 /20	बसुधा	Basudha	48	27.400	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
14	R- A 24 /20	बहेराडोल	Behradol	298	231.972	भानुमती गोदाम, दुद्धी
15	R- A 25 /20	बहेराडोल	Behradol	57	45.600	भानुमती गोदाम, दुद्धी
16	R- A 26 /20	बहेराडोल पश्चिमी	Behradol West	53	38.231	भानुमती गोदाम, दुद्धी
17	R- A 27 /20	बहेराडोल पश्चिमी	Behradol West	178	128.515	भानुमती गोदाम, दुद्धी
18	R- A 28 /20	बेलगढी-अ	Belgadhi-A	98	66.000	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
19	R- A 29 /20	बेलगढी-ब	Belgadhi-B	117	81.030	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
20	R- A 35 /20	चोपन	Chopan	57	42.400	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
21	R- A 36 /20	चोपन	Chopan	49	23.725	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
22	R- A 39 /20	धनखोर	Dhankhor	139	99.600	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
23	R- A 40 /20	धूमा -अ	Dhuma -A	9	7.200	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
24	R- A 41 /20	धूमा -ब	Dhuma -B	52	46.600	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
25	R- A 42 /20	डोडहर,सिरसोती	Dodhar, Sirsoti	17	13.400	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
26	R- A 44 /20	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	73	54.729	भानुमती गोदाम, दुद्धी
27	R- A 45 /20	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	80	63.560	भानुमती गोदाम, दुद्धी
28	R- A 47 /20	गाढा	Gadha	16	10.500	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
29	R- A 52 /20	घघरी	Ghaghri	247	180.000	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
30	R- A 53 /20	घघरी	Ghaghri	109	79.000	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी

31	R- A 56 /20	गुरमुरा-ब	Gurmura-B	225	164.100	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
32	R- A 57 /20	गुरमुरा-ब	Gurmura-B	14	10.000	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
33	R- A 58 /20	हरनाकछार- अ	Harna Kachhar-A	179	156.740	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
34	R- A 59/20	हरनाकछार- ब	Harna Kachhar B	139	110.720	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
35	R- A 63 /20	हाथीनाला,हथवानी	Hathinala, Hathwani	85	59.800	भानुमती गोदाम, दुद्धी
36	R- A 66 /20	जाताजुआं (धूरपा)	Jatajuan (Dhurpa)	135	110.970	भागीरथी गोदाम,हीराचक
37	R- A 68 /20	जोरुखाड़	Jorukhad	60	49.950	भागीरथी गोदाम,हीराचक
38	R- A 70 /20	जुगौल-ब	Jugail-B	102	68.850	जुगौल प्रथम गोदाम,जुगौल
39	R- A 72 /20	करहिया	Karahia	279	223.786	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
40	R- A 74 /20	केवाल-अ	Kewal- A	115	87.020	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
41	R- A 77 /20	खाटावरण(काचन)	Khatavaran (Kachan)	40	24.980	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
42	R- A 79 /20	कोरगी	Korgi	54	42.850	भागीरथी गोदाम,हीराचक
43	R- A 80 /20	कोटा	Kota	21	16.200	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
44	R- A 81 /20	कोटा	Kota	39	26.000	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
45	R- A 82 /20	लोझारा, बैरपान	Lojhara, Barpan	53	34.200	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
46	R- A 84 /20	मचबन्धवा-ब	Machbandhwa-B	57	45.000	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
47	R- A 86 /20	मझौली	Majhaulee	45	30.178	भानुमती गोदाम, दुद्धी
48	R- A 87 /20	मझौली	Majhaulee	87	55.392	भानुमती गोदाम, दुद्धी
49	R- A 89 /20	मुर्धवा (रेनुकूट)-अ	Murdwa (Renukoot)- A	16	11.200	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
50	R- A 90 /20	मुर्धवा (रेनुकूट)-ब	Murdwa (Renukoot) -B	9	6.300	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
51	R- A 91 /20	नदहरी	Nadhari	201	132.550	परसोई गोदाम, परसोई
52	R- A 93 /20	नौडीहा	Naudiha	825	657.829	भानुमती गोदाम, दुद्धी
53	R- A 94 /20	नवाटोला	Navatola	94	58.900	परसोई गोदाम, परसोई
54	R- A 95 /20	नवाटोला	Navatola	91	58.610	परसोई गोदाम, परसोई
55	R- A 96 /20	नेमना-अ	Nemna -A	37	29.600	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
56	R- A 98/20	पनारी	Panari	92	63.450	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
57	R- A 100 /20	पिपरा-ब	Pipra-B	60	36.550	जुगौल द्वितीय गोदाम,जुगौल
58	R- A 101 /20	परसोई	Parsoi	49	34.000	परसोई गोदाम, परसोई
59	R- A 102 /20	परसोई	Parsoi	43	30.505	परसोई गोदाम, परसोई
60	R- A 103 /20	पाटी	Pati	68	42.700	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
61	R- A 104 /20	पोखरा(खोतोमहुआ)	Pokhara (Khotomahua)	271	191.300	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
62	R- A105 /20	रजखड़	Rajkhad	37	25.678	भानुमती गोदाम, दुद्धी
63	R- A 106 /20	रजखड़	Rajkhad	31	21.450	भानुमती गोदाम, दुद्धी
64	R- A 114 /20	सरैया-अ	Saraiya -A	445	350.660	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
65	R- A 116 /20	सरैया-स	Saraiya-S	94	71.228	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
66	R- A 118 /20	ससनई	Sasanai	43	27.450	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
67	R- A119 /20	सेमिया-अ	Semia-A	220	160.850	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
68	R- A 120 /20	सेमिया-अ	Semia-A	226	148.790	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन

69	R- A 121 /20	सेमिया-ब	Semia -B	280	192.785	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
70	R- A 122 /20	सुईचट्टान	Suichattan-	191	152.400	भागीरथी गोदाम,हीराचक
71	R- A 123 /20	सुपाचुआं	Supachuan	600	439.394	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
72	R- A 124 /20	सुपाचुआं	Supachuan	67	56.840	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
73	R- A 128 /20	वनमहरी(शिशवा)	Vanmahri (Shishwa)	66	42.500	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
74	R- A 129 /20	वियहवा	Viyahwa	51	38.250	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
75	R- A 130 /20	वासिन-अ	Wasin-A	405	331.845	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
76	R- A 131 /20	वासिन-ब	Wasin-B	122	99.400	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
77	R- A 132 /20	विण्ढमगंज	Wyndhmganj	59	46.145	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
	77 लाटें	योग		9828	7285.361	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र०स०	लाट सं० व वर्ष	सेक्शन का नाम (इकाई का नाम)	वा० बोरा	मा० बोरा	गोदाम	
1	R- B 02 /20	अनपरा(लोझरा,बैरपान, असनहर)	Anpara	372	249.470	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
2	R- B 03 /20	अनपरा (खजुरा,औड़ी ,रणहोर, लोझरा,बैरपान, वियहवा)	Anpara	279	202.093	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
3	R- B 04 /20	बभनी-1(डुमरहर, करमघट्टी)	Babhni-1	352	247.535	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
4	R- B 05 /20	बभनी-1 (चेरी)	Babhni-1	296	235.150	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
5	R- B 06 /20	बभनी-1 (चेरी, किरबिल,फाटपखना)	Babhni-1	266	179.515	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
6	R- B 07 /20	बभनी-1 (वभनी, चपकी, डूभा)	Babhni-1	460	339.700	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
7	R- B 09 /20	बभनी-1(कनवा,वजिया, घघरी)	Babhni-1	464	342.700	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
8	R- B 10 /20	बभनी-1 (घघरी, अघौरा,वनमहरी(शिशवा)	Babhni-1	471	348.125	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
9	R- B 11 /20	बभनी-2 (पोखरा(खोतोमहुआ), धनखोर ,मचबन्धवा-अ)	Babhni-2	470	372.700	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
10	R- B 12 /20	बभनी-2 (सागोबाँध, चकबदरी)	Babhni-2	475	376.600	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
11	R- B 13 /20	बभनी-2 (चकबदरी, बैना,आसनडीह)	Babhni-2	465	368.700	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
12	R- B14 /20	बभनी-2 (आसनडीह,मचबन्धवा- ब,करचाटोला)	Babhni-2	478	379.265	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
13	R- B15 /20	डाला (अवाड़ी - ब)	Dala	326	201.640	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
14	R- B 16 /20	डाला (अवाड़ी - स)	Dala	326	206.295	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
15	R- B 17 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी-अ, कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	450	313.745	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी

16	R- B 18 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी-अ, कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	455	317.230	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
17	R- B 20 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी-अ, कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	420	292.830	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
18	R- B 21 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी-अ, कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	463	322.815	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
19	R- B 22 /20	दुद्धी (बहेराडोल)	Duddhi	400	303.886	भानुमती गोदाम, दुद्धी
20	R- B 23 /20	दुद्धी (हाथीनाला,हथवानी, मझौली)	Duddhi	392	273.615	भानुमती गोदाम, दुद्धी
21	R- B 24 /20	दुद्धी (रजखड़,दुद्धी (धनौरा))	Duddhi	354	262.083	भानुमती गोदाम, दुद्धी
22	R- B 25 /20	दुद्धी (बहेराडोल,बहेराडोल पश्चिमी)	Duddhi	350	267.584	भानुमती गोदाम, दुद्धी
23	R- B 26 /20	गोहणा (नौडीहा)	Gohada	470	376.832	भानुमती गोदाम, दुद्धी
24	R- B 27 /20	गोहणा (नौडीहा, गौरसिंहा)	Gohada	458	365.956	भानुमती गोदाम, दुद्धी
25	R- B 30 /20	जरहा (जरहा पूर्वी- अ, मजीठ-अ,ब,जरहा पूर्वी -ब, इंजानी, पर्वतवा)	Jarha	390	256.310	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
26	R- B 31 /20	जरहा (महुली- ब)	Jarha	350	256.230	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
27	R- B 32 /20	जरहा (महुली- अ, डोडहर, सिरसोती)	Jarha	433	323.105	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
28	R- B 33 /20	जरहा (जरहा पश्चिमी- अ,ब)	Jarha	339	267.525	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
29	R- B 34 /20	जरहा (नेमना- अ)	Jarha	264	210.400	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
30	R- B 35 /20	जरहा (नेमना- ब)	Jarha	352	262.580	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
31	R- B 36 /20	जुगैल-अ (जुगैल -अ)	Jugail- A	429	247.160	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
32	R- B 37 /20	जुगैल-अ (जुगैल-ब,अगोरी-अ)	Jugail- A	520	341.055	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
33	R- B 39 /20	जुगैल-ब (भरहरी)	Jugail-B	183	115.175	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
34	R- B 40 /20	जुगैल-ब (गर्दा)	Jugail-B	208	136.865	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
35	R- B 41 /20	जुगैल-ब (बेलगढ़ी अ, ब, पिपरा ब)	Jugail-B	441	296.970	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
36	R- B 42 /20	जुगैल-ब (पिपरा - अ)	Jugail-B	401	252.993	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
37	R- B 43 /20	जुगैल-ब (पिपरा - अ)	Jugail-B	416	262.456	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
38	R- B 44 /20	कोन (रामगढ़ - अ)	Kon	395	313.438	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
39	R- B 45 /20	कोन (रामगढ़ - अ, ब)	Kon	398	315.820	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
40	R- B 46 /20	कोन (रामगढ़ - ब)	Kon	390	309.470	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
41	R- B 47 /20	कोन (रामगढ़ - ब,स)	Kon	396	314.232	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
42	R- B 48 /20	कोन (रामगढ़- स,हर्रा-अ)	Kon	399	316.612	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज

43	R- B 49 /20	कोन (हर्रा- अ, ब)	Kon	400	317.407	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
44	R- B 50 /20	कोन (हर्रा-ब,सरैया -स)	Kon	376	298.362	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
45	R- B 51 /20	कोन (बागोसोती-अ)	Kon	286	221.053	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
46	R- B 52 /20	कोन (बागोसोती-ब)	Kon	493	379.023	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
47	R- B 53 /20	कोन (सरैया-अ)	Kon	349	275.510	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
48	R- B 54 /20	कोन (सरैया-अ)	Kon	351	280.230	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
49	R- B 55 /20	कोन (सरैया-अ)	Kon	347	275.485	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
50	R- B 56 /20	कोन (सरैया-ब)	Kon	296	235.970	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
51	R- B 57 /20	कोन (केवाल-अ)	Kon	407	312.090	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
52	R- B 58 /20	कोन (केवाल-ब)	Kon	492	386.300	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
53	R- B 59/20	कोन (केवाल-ब)	Kon	450	341.740	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
54	R- B 60 /20	कोन (केवाल - स)	Kon	400	305.980	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
55	R- B 61 /20	कोन (केवाल - स)	Kon	308	235.610	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
56	R- B 64 /20	ओबरा (नवाटोला, नदहरी,अमरसोता, परसोई)	Obra	63	43.300	परसोई गोदाम, परसोई
57	R- B 65 /20	ओबरा (टापू, पनारी)	Obra	509	322.470	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम),सलखन
58	R- B 66 /20	पिपरी (मुर्धवा (रेनुकूट)-ब)	Pipri	342	239.280	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
59	R- B 67 /20	पिपरी(महुलाईनसोत,मुर्धवा(रेनुकूट)-अ,बेलहत्थी,रानीताली)	Pipri	380	265.430	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
60	R- B 68 /20	पिपरी (बेलहत्थी,रानीताली)	Pipri	442	335.950	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
61	R- B 69 /20	पिपरी (गाढा, पाटी)	Pipri	342	226.130	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
62	R- B 70 /20	पिपरी (महुलाईनसोत)	Pipri	386	262.655	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
63	R- B 73 /20	तरिया (बसुहारी, ससनई)	Tariya	241	175.551	एस0डी0 मिश्रा गोदाम(प्रथम),सलखन
64	R- B 74 /20	विण्डमगंज (धूमा - अ)	Wyndhamganj	19	15.200	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
65	R- B 75 /20	विण्डमगंज (विण्डमगंज)	Wyndhamganj	223	177.677	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
66	R- B 76 /20	विण्डमगंज (हरनाकछार-अ)	Wyndhamganj	383	325.970	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
67	R- B 77 /20	विण्डमगंज (औराडंडी)	Wyndhamganj	294	233.265	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
68	R- B 78 /20	विण्डमगंज (करहिया)	Wyndhamganj	250	198.250	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
69	R- B 79 /20	विण्डमगंज (करहिया)	Wyndhamganj	251	200.309	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
70	R- B 80 /20	विण्डमगंज (वासिन-अ)	Wyndhamganj	290	216.790	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
71	R- B 81 /20	विण्डमगंज (वासिन-अ)	Wyndhamganj	297	222.030	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
72	R- B 82 /20	विण्डमगंज (धूमा - ब)	Wyndhamganj	236	201.330	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
73	R- B 83 /20	विण्डमगंज (हरनाकछार-अ)	Wyndhamganj	284	223.060	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
74	R- B 84 /20	विण्डमगंज (वासिन-ब)	Wyndhamganj	126	105.100	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज

75	R- B 85 /20	विण्ढमगंज (सुईचट्टान)	Wyndhamganj	350	297.503	भागीरथी गोदाम,हीराचक
76	R- B 87 /20	विण्ढमगंज (जाताजुआं (धूरपा)	Wyndhamganj	396	335.350	भागीरथी गोदाम,हीराचक
77	R- B 88 /20	विण्ढमगंज (सुईचट्टान,जोरुखाड़, कोरगी)	Wyndhamganj	331	268.185	भागीरथी गोदाम,हीराचक
	77 लाटे	योग		27806	20700.005	
	154 लाटे	प्रभाग का कुल योग		37634	27985.366	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर

वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	M-A 07/20	चौरा	Chaura	723	551.875	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
2	M-A 09/20	चिरुई	Cheruee	124	90.875	शिवकुमार त्रिपाठी गोदाम, मारकुन्डी
3	M-A 13/20	कर्सी-अ	Karri-A	216	173.500	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
4	M-A 17/20	लेदुकी उ०	Leduki North	302	237.400	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
5	M-A 18/20	लेदुकी द०	Leduki South	315	235.830	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
6	M-A 26/20	रौप	Raup	139	98.250	शिवकुमार त्रिपाठी गोदाम, मारकुन्डी
7	M-A 28/20	रामपुर	Rampur	158	124.150	शिवकुमार त्रिपाठी गोदाम, मारकुन्डी
	07 लाटें	योग		1977	1511.880	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्शन का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	M-B 04/20	ड्रमण्डगंज	Drumandganj	516	463.725	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
2	M-B 05/20	घोरावल	Ghorawal	392	312.032	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
3	M-B 06/20	घोरावल	Ghorawal	387	307.418	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
4	M-B 09/20	रामगढ	Ramgarh	220	174.310	शिवकुमार त्रिपाठी गोदाम, मारकुन्डी
	04 लाटें	योग		1515	1257.485	
	11 लाटें	प्रभाग का योग		3492	2769.365	

वर्ष 2018 सीजन की सी-1 स्टाक की लाट

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा० बोरा	मा० बो०	
1	2	3	4	5	6
1.	34/18-19	सी-1 स्टाक	10	7.600	लालगंज रेन्ज परिसर
	01 लाट	योग	10	7.600	
	12 लाटें	प्रभाग का कुल योग	3502	2776.965	

वाराणसी लौगिंग प्रभाग, वाराणसी

वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	V-A 07/20	गंगापुर	Gangapur	126	94.120	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
2	V-A 08/20	गहिला	Gahila	554	430.157	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
3	V-A 13/20	मुजफ्फरपुर	Muzaffarpur	445	423.528	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
4	V-A 19/20	उ०/द० पण्डी	North/South Pandee	110	78.625	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
	04 लाटें	योग		1235	1026.430	
	04 लाटें	प्रभाग का कुल योग		1235	1026.430	
	170 लाटें	क्षेत्र का कुल योग		42371	31788.761	

कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी
वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा०बो०	
1	K-A 2/20	अमचुरनेरुवा	AMACHURNERUA	368	245.168	रसिन गोदाम
2	K-A 3/20	बबुरी	BABURI	830	611.665	टी०पी०गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	K-A 5/20	बगरेही/भौरी/ देशाह/अगरहुण्डा/गढ चपा	BAGAREHI/ BHAURI/DESHAH / AGARHUNDA/ GARHCHAPA	167	100.135	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
4	K-A 8/20	ददरी	DADARI	1001	609.955	रसिन गोदाम
5	K-A 9/20	डढवामानपुर	DADAWAMAANPUR	131	80.135	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
6	K-A 15/20	गढवा	GADAWA	417	299.663	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
7	K-A 16/20	गढचपा (अ)	GARHCHAPA A	275	151.106	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
8	K-A 18/20	हनुवा	HANUA	578	363.600	टी०पी०गुप्ता गोदाम मानिकपुर
9	K-A 19/20	कल्चिहा	KALCHIYA	196	151.900	टी०पी०गुप्ता गोदाम मानिकपुर
10	K-A 20/20	कटैयाडांडी	KATAIYA DANDI	108	67.935	टी०पी०गुप्ता गोदाम मानिकपुर
11	K-A 21/20	कटरा कलिंजर	KATARA KALINZAR	215	164.175	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
12	K-A 25/20	कोटा कंडैला	KOTAKANDELA	348	219.730	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
13	K-A 32/20	माराचन्द्रा/ऐंचवारा/ सरहट ब	MARACHANDRA /EANCHAWARA/ SARAHAT B	289	172.090	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
14	K-A 35/20	रिहुटिया	RIHUTIYA	343	201.220	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
15	K-A 37/20	सढा	SADA	99	64.260	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
16	K-A 39/20	सरहट अ	SARAHAT A	397	241.665	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
17	K-A 43/20	टिकारिया	TIKARIYA	488	263.635	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
18	K-A 46/20	वरियारी कला/ परदवां	VARIYARI KALA/PARDAWA	164	80.882	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
	18 लाटें	योग		6414	4088.919	

वर्षा से प्रभावित लाटे

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा०बो०	
1	K-B 1/20	अतर्रा सेक्शन	ATTRA SECTION	1058	684.915	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
2	K-B 2/20	बरगढ सेक्शन	BARAGARH SECTION	56	43.850	टी०पी०गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	K-B 3/20	कर्वी सेक्शन	KARWI SECTION	478	306.955	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
4	K-B 4/20	कर्वी सेक्शन	KARWI SECTION	1108	662.553	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
5	K-B 5/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	900	516.978	रसिन गोदाम

6	K-B 6/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	890	511.235	रसिन गोदाम
7	K-B 7/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	870	499.745	रसिन गोदाम
8	K-B 8/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	880	505.492	रसिन गोदाम
9	K-B 9/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	16	9.850	टी0पी0गुप्ता गोदाम मानिकपुर
10	K-B 10/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	389	252.324	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
11	K-B 11/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	998	590.369	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
12	K-B 12/20	रसिन सेक्शन	RASIN SECTION	1021	676.450	रसिन गोदाम
13	K-B 13/20	रसिन सेक्शन	RASIN SECTION	1018	674.426	रसिन गोदाम
	13 लाटें	योग		9682	6935.142	

सी-1 की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा०बो०	
1	K-C 1/20	सी-1	C-1	9	4.100	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
	01 लाटें	योग		9	4.100	
	32 लाटें	प्रभाग का कुल योग		16105	10028.161	

वर्ष 2018 तेन्दू पत्ता सीजन की वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा० बोरा	मा० बो०	
1	2	3	4	5	6
1.	क-53/18	रामनगर सेक्शन	13	11.500	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
	1 लाट	योग	13	11.500	
	33 लाटें	प्रभाग का कुल योग	16118	10039.661	
	33 लाटें	कुल योग झाँसी क्षेत्र	16118	10039.661	
	203लाटें	कुल योग प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र	58489	41828.422	

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज ।

पत्रांक -2477 /ते०प०/बिक्री/2020

/ दिनांक 20.11.2020

सेवा में,

मे० अनु इमेज मेकर्स
एडवरटाइजिंग प्रा० लि०,
संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज ।

विषय- तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्न सूचना को निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक **21.11.2020** को कम से कम स्थान में केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।-

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भाष्कर, रायपुर एवं भोपाल।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाईम्स आफ इंडिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।



उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

दूरभाष एवं फ़ैक्स - +91532-2427536

तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु निविदा सूचना - निविदा तिथि 08.12.2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020 सीजन में संग्रहीत तेन्दू पत्ता की अवशेष लाटों एवं पूर्व वर्षों की अवशेष लाटों की बिक्री हेतु दिनांक **08.12.2020** को निविदाएं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/लौगिंग अधिकारी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कर्वी एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी, दुद्धी, वाराणसी, झाँसी एवं नजीबाबाद (सहारनपुर) के कार्यालयों में अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उन्हीं कार्यालयों में उक्त तिथि **08.12.2020** को ही अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। किसी भी प्रभाग की किसी भी लाट की निविदा उक्त किसी भी कार्यालय में **निविदा पेटी में अथवा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से** दी जा सकती है, परन्तु निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त निविदा से सम्बन्धित बिक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज, लखनऊ क्षेत्र अथवा उनके अधीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धकों/विक्रय अधिकारियों के कार्यालय से दिनांक **23.11.2020** से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा सूचना, बिक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध रहेगी। इच्छुक निविदादाता वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु इसके लिये उन्हें अपने **निविदा प्रपत्र के साथ एक सौ पचास रूपये (रु० 150.00) मात्र का निविदा प्रपत्र शुल्क, जो नकद जमा रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज/इलाहाबाद के पक्ष में हो तथा प्रयागराज/इलाहाबाद पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय

(एस० एन० सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक-2477 /ते0प0/बिक्री/2020/दिनांक 20.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक ते0प0-5953/ते0प0 बिक्री वर्ष 2020, दिनांक 19.11.2020 एवं पत्रांक ते0प0-कै0-269/ते0प0 बिक्री वर्ष 2020, दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड झाँसी व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, विपणन/उत्पादन/पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/ प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी एवं चित्रकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, झाँसी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं ज्योतिबा फुले नगर।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव, भदोही, काशी वन्य जीव रामनगर-वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन), रायबरेली, अमेठी।
11. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र।
12. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीवाबाद (सहारनपुर)।
13. वेबसाईट, उत्तर प्रदेश वन निगम।
14. श्री दीपक पालीवाल, दीपक टोबैको कम्पनी (निर्माता दीपक ब्रान्ड टोबैको) होटल सोहन पैलेस एण्ड मैरेज गार्डन, कान्हा टेन्ट, डेकोरेटर्स, बस स्टेशन, दरियाबाद, राजस्थान-312605 । मोबाइल नं0-9782035786 / 9414420442
15. तेन्दू पत्ता क्रेता गण को डाक से।
16. कार्यालय सूचना पट।

(एस0 एन0 सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की निविदा द्वारा विक्री हेतु शर्तें

पत्ता का ग्रेड एवं "जहां भी है जैसे है" के तहत विक्री

1- (अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग-अलग भण्डारित किया गया है।

1. सामान्य ग्रेड (ए):- ग्रेड-बी के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्ता।

2. वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):- वर्षा प्रभावित बोरों का ऐसा पत्ता जो भीग जाने के कारण मटमैला /काला हो गया है।

सामान्य ग्रेड की पत्ती गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी की पत्ती इकाईवार/सेक्शनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लाट की विक्री या निकासी "जहाँ भी है जैसे है" के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। इच्छुक निविदादाता निविदा देने से पूर्व पत्ते का भली-भाँति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का आंकलन स्वयं करके निविदा दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के संबंध में कोई शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की विक्री "जहाँ भी है जैसे है" के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरो की पल्टाई, तौल एवं जांच आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे "जहाँ भी है जैसे है" के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

(स) गोदाम में विक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व क्रेता को उसके द्वारा अनुबन्धित पते पर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

छंटाई का प्रतिबन्ध:

2- लाट के बोरो की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जायेगी। निकासी के दौरान बोरों को काटकर पत्ता या बोरा छोटने की अनुमति नहीं होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं। परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार ही होगी।

निविदा सूचना तथा निविदा की विधि:

निविदा देने की तिथि तथा स्थान:

3- तेन्दू पत्ती की निविदा द्वारा विक्री हेतु लिफाफा बन्द निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना समाचार पत्रों तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से विज्ञापित करायी जायेगी। किसी भी तेन्दू पत्ती की विक्री से संबंधित प्रकाशित निविदा सूचना इन विक्री शर्तों का एक भाग होगी। निविदा सूचना में निविदा की तिथि, निविदा डालने तथा खुलने का स्थान एवं समय अंकित होगा। किसी भी प्रभाग की किसी भी लाट की निविदा उक्त निविदा सूचना में वर्णित किसी भी स्थल पर दी जा सकती है।

निविदा दिया जाना:

4- लिफाफा बन्द निविदाएं निविदा पेटी में अथवा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय तक दी जा सकती है। निविदा सूचना में निर्धारित तरीकों से भिन्न अथवा निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दस लाटों के लिए एक निविदा प्रपत्र का प्रयोग किया जाना:

5- (अ) एक निविदा प्रपत्र में अधिकतम 10 लाटों तक की निविदा दी जा सकती है तथा लिफाफे के ऊपर तेन्दू पत्ता निविदा मय निविदा तिथि दर्शाते हुए लिखा होना चाहिए। निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद क्षेत्र, झांसी क्षेत्र अथवा उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत किसी भी प्रभागीय लौगिग एवं विक्रय प्रबन्धकों/अधिकारियों के कार्यालय से निविदा सूचना में सूचित दिनांक से निर्धारित मूल्य के

भुगतान के पश्चात् कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सूचना विक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता वेबसाईट पर उपलब्ध टेण्डर फार्म का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसके लिये उन्हें अपने **टेण्डर फार्म के साथ 150/- रुपये का निविदा फार्म शुल्क (कर सहित), नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।** डिमान्ड ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० वन निगम इलाहाबाद के पक्ष में हो तथा इलाहाबाद पर देय होना चाहिए। उक्त नकद प्राप्ति रसीद/ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त ड्राफ्ट पृथक से संलग्न न होने पर निविदा प्रपत्र का मूल्य बंधक धनराशि हेतु प्रदत्त ड्राफ्ट से समायोजित कर लिया जायेगा और बंधक धनराशि उक्त सीमा तक कम हो जायेगी। निविदाएँ निर्धारित तिथि व समय पर क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा गठित समितियों द्वारा महा प्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उ०प्र० वन निगम द्वारा नामित पर्यवेक्षकों की निगरानी में खोली जायेगी।

(ब) यदि कोई निविदादाता एक ही लाट के लिए एक से अधिक निविदा देता है तो उसके द्वारा दी गई केवल उच्चतम निविदा दर पर ही विचार किया जायेगा।

(स) प्रत्येक निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्री-सूची को भली-भाँति देखकर लौगिंग प्रभाग का नाम लाट संख्या व वर्ष, इकाई का नाम एवं वास्तविक बोरों की संख्या स्वच्छ एवं स्पष्ट अंकित करेगा। यदि इनमें कोई भिन्नता होती है तो दिये गये प्रस्ताव की लाट संख्या को ही अन्तिम माना जायेगा।

निविदा के साथ बन्धक राशि:

6- (अ) प्रत्येक लाट की निविदा हेतु सामान्य ग्रेड के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिए **रु० 236.00 (दो सौ छत्तीस रुपये मात्र) जी०एस०टी०सहित प्रति वास्तविक बोरा की दर से** तथा वर्षा से प्रभावित ग्रेड के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिए **रु० 118.00 (एक सौ अट्ठारह रुपये मात्र) (एस०टी०सहित) प्रति वास्तविक बोरा की दर से बन्धक धनराशि देय होगी।** इच्छुक निविदादाता अपनी सुविधानुसार किसी भी निविदा केन्द्र पर किसी भी विक्रय प्रभाग की लाट के लिए निविदा दे सकता है। निविदा प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम, अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० वन निगम, प्रयागराज के नाम निविदा प्रपत्र में जितने लाटों की निविदा दी जाय उसके अनुरूप बन्धक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/ऑनलाइन भुगतान जो किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का, संलग्न किया जायेगा। एक क्रेता द्वारा दिये गये समस्त निविदाओं से संबंधित बंधक धनराशि का एक संयुक्त ड्राफ्ट भी स्वीकार किया जा सकता है।

(ब) यदि किसी क्रेता द्वारा जितनी लाटों की निविदा दी गयी है उसके अनुसार पूर्ण बंधक धनराशि ड्राफ्ट के रूप में संलग्न नहीं की गयी है, तो कम से कम निविदत्त मात्रा के 10 प्रतिशत बोरों की पूर्ण बन्धक धनराशि निर्धारित रूप में लगाना अनिवार्य होगा। ऐसी दशा में वन निगम को अधिकार होगा कि क्रेता द्वारा दिये गये समस्त लाटों की निविदा में से किसी भी लाट में बंधक धनराशि का समायोजन कर ले। परन्तु यदि क्रेता द्वारा उक्त सीमा से अधिक लाटों के बोरे के लिए निविदा दी जाती है तो ऐसे निविदादाता की समस्त लाटों की निविदा को विधिमान्य निविदा न मानते हुए उसके द्वारा दी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(स) यदि उप नियम (ब) के अनुसार मात्र किसी एक लाट में पूर्ण बंधक धनराशि समायोजन हेतु उपलब्ध नहीं होती है तो वन निगम हित में 40 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्ध बंधक राशि का उपयोग करते हुए लाट के अनुमोदन हेतु निगम द्वारा विचार किया जा सकता है। परन्तु निविदादाता द्वारा मात्र एक लाट के लिए ही दी गये निविदा पर यह नियम लागू नहीं होगा। अर्थात् निविदादाता की प्रथम लाट में सम्पूर्ण बन्धक धनराशि उपलब्ध होनी अनिवार्य है।

(द) यदि निविदादाता पूर्व में निगम के पास अपनी जमा धनराशि (भार मुक्त) को बंधक धनराशि के रूप में देना चाहता है तो निविदादाता को उत्तर प्रदेश वन निगम के संबंधित प्रभाग के प्रभागीय प्रबंधक से इस जमा धनराशि तथा उसके भारमुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उक्त धनराशि बंधक धनराशि के रूप में मान्य नहीं होगी।

(य) यदि निविदादाता द्वारा जमा बंधक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर इलाहाबाद के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देय हो तो उसको स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार वन निगम को होगा।

निविदा प्रपत्र में विवरण देना तथा हस्ताक्षर करना:

7- निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर लौंगिंग प्रभाग का नाम, लाट संख्या, इकाई/सेक्शन का नाम, मात्रा (वास्तविक बोरा में) तथा निविदा दर रूपया प्रति किलोग्राम (अंको व शब्दों में) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए वांछित स्थान पर निविदादाता को अपना हस्ताक्षर करना होगा। यदि निविदा प्रपत्र भरते समय कोई संशोधन किया जाता है तो उसे काटकर स्पष्ट रूप से लिखना होगा तथा ऐसे संशोधन पर निविदादाता को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होगा। यदि प्रस्तावित निविदा दर अंको एवं शब्दों में भिन्न-भिन्न हो तो उच्चतम दर ही वैध दर मानी जायेगी।

सही पते का उल्लेख करना:

8- पत्राचार हेतु यदि निविदादाता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहे तो वह ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र में कर देंगे। उक्त पते पर भी भेजे गये रजिस्टर्ड पत्र क्रेता को प्राप्त समझे जायेंगे। यदि निविदा प्रपत्र में उल्लिखित पत्राचार के पते में कोई परिवर्तन हो तो निविदादाता रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उसकी सूचना संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक को देंगे। किसी भी समय छान-बीन करने पर यदि निविदा-दाता का पता गलत पाया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित (अधिकतम तीन वर्ष के लिए) कर दिया जायेगा।

निविदादाता की हैसियत का उल्लेख किया जाना:

9- निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिस हैसियत से वह हस्ताक्षर कर रहा है उसका उल्लेख करना होगा। 'निविदादाता का नाम' के कालम में निविदादाता व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, का नाम अंकित करना होगा।

निविदा देने व खुलने के समय सदाचरण:

10- यदि कोई निविदादाता निविदा देने या निविदा खुलने के समय किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शान्ति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके द्वारा दी गयी निविदा अवैध घोषित करके निविदा के साथ जमा बंधक धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे निविदादाता को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दर्ज किया जा सकता है और अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

निविदा स्वीकृति की सूचना:

11- निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदादाता को सामान्यतया संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र/पत्रवाहक द्वारा क्रेता के निविदा प्रपत्र में उल्लिखित पत्राचार के पते पर निविदा खुलने की तिथि से 40 दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल निविदादाताओं को निविदा की तिथि से 40 दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो उन्हें चाहिए कि वे संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के कार्यालय से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी, परन्तु किन्ही कारणवश, जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम

स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो ऐसी परिस्थिति में 40 दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया उत्तर प्रदेश वन निगम का पत्र उसे प्राप्त समझा जायेगा। संबंधित विक्रय प्रभाग के सूचना पट पर निविदा स्वीकृति की सूचना चस्पा कर दी जायेगी और इसे उक्त की सूचना समझा जायेगा। निविदा परिणाम उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध होगी।

एक ही दर के लिये नीलाम/लाटरी पद्धति:

12- यदि एक ही लाट पर दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर हों तो ऐसी स्थिति में लाट की विक्री उन्हीं क्रेताओं के मध्य नीलाम द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में इनके द्वारा की जायेगी जिसमें प्रारम्भिक बोली निविदा की प्राप्त उच्चतम दर होगी। नीलाम द्वारा निस्तारण न हो पाने की स्थिति में लाटरी पद्धति द्वारा निस्तारण का अधिकार वन निगम को होगा।

निविदा की स्वीकृति:

13- सशर्त निविदा स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम को होगा।

14- उच्चतम दर की निविदा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० वन निगम को होगा।

जमानत व अनुबन्ध:

15- (अ) सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना हाथ से देने पर सूचना प्राप्त कराने की तिथि के 07 दिन के अन्दर तथा रजिस्ट्री द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना भेजने पर रजिस्ट्री भेजने के 10 दिन के अन्दर उसके पक्ष में स्वीकृत लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का **20 (बीस) प्रतिशत** बतौर जमानत एवं उस पर देय जी०एस०टी० सहित जमा करना होगा। वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित **विक्रय मूल्य का 30 (तीस) प्रतिशत** एवं उस पर देय जी०एस०टी० सहित जमा करना होगा। इसके साथ ही क्रेता को प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक लाट की देय जमानत जमा न होने की दशा में लाट की विक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं उपरोक्त नियम संख्या-6 (अ) के अर्न्तगत जमा बंधक धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी जिसकी कोई सूचना निविदादाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा। ऐसी लाट की पुनः विक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा। देय जमानत की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय स्थल वाराणसी, दुद्धी एवं झॉसी पर देय हो, स्वीकार किया जायेगा। लाट की निविदा के साथ जमा बन्धक धनराशि को देय जमानत में समायोजित किया जा सकता है।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म कम्पनी या अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की ओर से निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख जिसमें उसे यह शक्ति दी गयी हो मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी विक्री को निरस्त करके जमा बंधक धनराशि जब्त की जा सकती है। निविदादाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु आधार/अन्य मान्य अभिलेख की प्रति अनुबंध के समय देना अनिवार्य होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपया पांच हजार जमा करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। **उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा।**

जमानत एवं किश्त हेतु अनुमानित विक्रय मूल्य का आगणन:

16- जमानत तथा किश्तों का निर्धारण तथा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रति वास्तविक बोरा 30 किलो ग्राम वजन मानते हुए समय से पूरी की जायेगी परन्तु शत प्रतिशत वजन के पश्चात किश्त की राशि का आकलन वास्तविक वजन के आधार पर करते हुए जमानत धनराशि में आवश्यकतानुसार धनराशि जमा कराकर/जमानत की अतिरिक्त धनराशि लाट के प्रथम किश्त में समायोजन किया जायेगा।

विक्रय मूल्य का भुगतान एवं माल के निकासी:

किश्त/विक्रय मूल्य का भुगतान तथा निकासी की मात्रा:

17- देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता के निकासी क्रेता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

(अ) विक्रय मूल्य का भुगतान:

अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जायेंगी:-

1. जून/जुलाई/अगस्त में बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार बराबर किश्तों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त 41वें दिन तथा दूसरी किश्त 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

2. सितम्बर/अक्टूबर में बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन बराबर किश्तों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त 41वें दिन तथा दूसरी किश्त 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

3. नवम्बर/दिसम्बर एवं उसके बाद बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किश्तों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक किश्त में करना होगा। प्रथम किश्त 41वें दिन तथा दूसरी किश्त 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

नोट:- यदि अन्तिम किश्त जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद ही क्रेता को निकासी दी जायेगी। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो ऐसी अधिक जमा धनराशि क्रेता के प्रार्थना पत्र देने पर उसे वापस किया जायेगा।

4. यदि क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य प्रथम किश्त की देय तिथि तक जमा किया जाता है, तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ब) किसी भी समय जमा किश्त की धनराशि (जमानत को छोड़कर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किश्त जमा है तो इसके विरुद्ध निकासी, अगली किश्त के देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है, अर्थात् क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त की धनराशि जमा करने के उपरान्त यदि अगली किश्त देय हो जाती है तो पूर्व में जमा किश्त की धनराशि के विरुद्ध तब तक कोई निकासी नहीं दी जायेगी, जब तक देय किश्त क्रेता द्वारा जमा न कर दी जाय। अन्तिम देय किश्त की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य 30 दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

(स) यदि क्रेता निर्धारित किश्त से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किश्त में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरूप निकासी आगामी निर्धारित किश्त की तिथि से पूर्व ही करनी आवश्यक होगी।

(द) क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किश्त छोड़कर) अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। माह के अंश को उक्त गणना के लिये पूर्ण माह माना जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नहीं ली जाती है तो छः(06) पैसा प्रति सौ रुपये प्रति दिन की दर से प्लाट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

शून्य काल:

यदि वन निगम किन्ही कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 60 दिन तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ रहा उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किश्त जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं न ही विक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किश्तों की देयता की अवधि भी बढ़ जायेगी, परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना:

18- (अ) यदि शर्त संख्या 17 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि तक कोई क्रेता किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो किश्त की देय तिथि से 07 दिन के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात दिन के अन्दर किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रूपया 100.00 (एक सौ रुपये) मात्र तथा उस पर देय जी0एस0टी0 नकद या सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करके धनप्राप्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

क्रेता द्वारा उर्पयुक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा 06 पैसा प्रति सौ रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम 30 दिन की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले 30 दिन तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का

अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम लखनऊ को होगा।

(ब) शर्त सं० 18 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

(स) शर्त 18 (ब) के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर **अन्तर की धनराशि तथा उस पर देय जी०एस०टी० की धनराशि की वसूली हेतु** प्रथम क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन उक्त क्रेता की निगम में जमा वापसी योग्य अन्य कोई धनराशि यदि हो, से की जायेगी।

(द) यदि शर्त संख्या— 18 (स) में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को कम प्राप्त हो रहे मूल्य की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, ऐसी अवशेष धनराशि की वसूली **जी०एस०टी० सहित** क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किराया:

19— यदि कोई क्रेता लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त 17 (ब) के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो 2 रु० प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम 30 दिन की अवधि विस्तार संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दिया जा सकता है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। उक्त के उपरान्त अगले 30 दिन तक संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार आगामी 15 मई तक के लिये महाप्रबन्धक, तेन्दू पत्ता को होगा। तत्पश्चात लाट की बिक्री हेतु किया गया अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं लाट में जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त कर लिया जायेगा। क्रेता द्वारा प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

20— शर्त सं० 18 तथा 19 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार उन्हें प्रतिनिधायित अधिकारों की सीमान्तर्गत नियमानुसार होगा।

जमानत का समायोजन:

21— जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरुद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो लाट की अन्तिम किश्त के विरुद्ध किया जा सकता है।

निकासी का समय:

22— क्रेता को माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।

बैंक ड्राफ्ट द्वारा धनराशि का भुगतान:

23— विक्रय मूल्य का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के नाम बने बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय स्थान (दुद्धी को छोड़कर) पर देय होगी, द्वारा करना होगा। मूल्य के भुगतान की प्राप्ति

रसीद वन निगम की रसीद पर संबंधित गोदाम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई वैध मानी जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में अधिकतम रूपसे एक हजार तक की धनराशि नकद ली जा सकती है। दुद्धी विक्रय प्रभाग की लाटों के लिये बैंक ड्राफ्ट इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जाना:

24— यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किस्तों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किस्तों के विरुद्ध करेंगे एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के संबंध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोदाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किस्त हस्तान्तरण के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।

कर भार:

25— (अ) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) शर्त सं० 25 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में 2.5 प्रतिशत अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थित हो, की दर से देय हो, की वसूली क्रेता से पृथक से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली संबंधित क्रेता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की निर्धारित दरों पर वसूली क्रेता से की जायेगी।

नियमों का पालन:

26— यह स्पष्ट किया जाता है कि उ० प्र० में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।

विविध:

27— शर्त संख्या 1, पत्तों के ग्रेड से संबंधित शिकायत के अतिरिक्त यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जांच हेतु आवेदन किया जाता है, तो ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जांच के लिये रूपया पांच प्रति वास्तविक बोरा की दर से देय जी०एस०टी० अतिरिक्त सहित क्रेता को अग्रिम रूप से जमा करना होगा। यह धनराशि संबंधित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित प्रभाग के कार्यालय स्थान पर देय हो के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जांच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो उस स्थिति में ऐसे निर्णय के 15 दिन के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस

कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तदनुसार संशोधित किया जायेगा परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं जांच प्रक्रिया से किस्त जमा करने की तिथियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28— इस बिक्री से संबंधित किसी भी लाट के संबंध में न्यायिक वाद केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त लाट से संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।

29— किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गति विधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

30— राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकीदारी में प्रतिभाग करते हैं तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जाँयेगे।

यदि ठेका/पट्टा आवंटित होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसा ठेका/पट्टा निरस्त कर दिया जायगा।

आर्विट्रेशन:

31— शर्तो के पालन संबंधी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्विट्रेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम

उत्तर प्रदेश वन निगम
तेन्दूपत्ता की बिक्री हेतु निविदा प्रपत्र

लौगिंग प्रभाग का नाम.....

निविदा की तिथि.....

क्रमांक	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम	तेन्दूपत्ता की मात्रा(वा0बोरा)	निविदा दर प्रति कि०ग्रा०	
				अंको में	शब्दों में
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

संलग्नक—बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

बैंक का नाम..... धनराशि रुपये.....

मैंने तेन्दूपत्ता बिक्री से सम्बन्धित बिक्री सूची देख ली है और बिक्री शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं ।
इन बिक्री शर्तों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ ।

निविदादाता का पता साफ अक्षरों में

1— स्थायी पता

पत्राचार का पता
(यदि स्थायी पते से भिन्न है)

निविदादाता का नाम

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

मोबाइल नं०

ई-मेल

नोट: 1. प्रश्नगत निविदा फार्म का उपयोग करने वाले व्यक्ति को निविदा फार्म का मूल्य 150.00 रुपये प्रति फार्म (कर सहित) की दर से क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में बने डिमाण्ड ड्राफ्ट जो इलाहाबाद पर देय हो के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

2. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिस हैसियत से वह हस्ताक्षर कर रहा है उसका उल्लेख करना होगा । 'निविदादाता का नाम' के कालम में निविदादाता व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, का नाम अंकित करना होगा ।